

कपड़ा मंत्रालय

मांग संख्या 95

कपड़ा मंत्रालय

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	3593.66	656.01	4249.67	4623.35	800.57	5423.92	3892.35	798.28	4690.63	4821.00	726.70	5547.70	
पूँजी	21.95	101.77	123.72	7.65	0.02	7.67	7.65	0.52	8.17	10.00	139.73	149.73	
जोड़	3615.61	757.78	4373.39	4631.00	800.59	5431.59	3900.00	798.80	4698.80	4831.00	866.43	5697.43	
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	15.84	15.84	...	21.00	21.00	...	20.00	20.00	...	22.00	22.00
ग्राम और लघु उद्योग													
हथकरघा उद्योग													
2. हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं													
2.01 राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना	2851	52.00	...	52.00	
	4851	10.00	...	10.00	
जोड़	62.00	...	62.00	
2.02 व्यापक हथकरघा विकास योजना	2851	30.74	...	30.74	58.43	...	58.43	58.43	...	58.43	
	3601	108.36	...	108.36	40.92	...	40.92	40.92	...	40.92	
	3602	0.20	...	0.20	
	4851	7.65	...	7.65	7.65	...	7.65	
जोड़	139.30	...	139.30	107.00	...	107.00	107.00	...	107.00	
2.03 हथकरघों के पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्संरचना पैकेज	2851	291.03	...	291.03	157.00	...	157.00	253.00	...	253.00	
2.04 विपणन और निर्यात संबर्द्धन कार्यक्रम	2851	38.43	...	38.43	
	4851	2.60	...	2.60	
जोड़	41.03	...	41.03	
जोड़- हथकरघा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	471.36	...	471.36	264.00	...	264.00	360.00	...	360.00	62.00	...	62.00	
3. अन्य हथकरघा योजनाएं													
3.01 विविध हथकरघा विकास योजना	2851	2.53	...	2.53	
	3601	
	4851	14.15	...	14.15	
जोड़	16.68	...	16.68	
3.02 बुनकर सेवा केन्द्र	2851	...	30.30	30.30	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	33.00	33.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3.03 हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना	2851	127.01	...	127.01	64.50	...	64.50	64.50	...	64.50	54.50	...	54.50
	3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	127.01	...	127.01	65.00	...	65.00	65.00	...	65.00	55.00	...	55.00
3.04 मिल गेट मूल्य योजना/यार्न आपूर्ति योजना	2851	122.91	...	122.91	96.50	...	96.50	96.50	...	96.50	125.00	...	125.00
3.05 संचित हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट अनुदान स्कीम	2851	0.01	0.01
	3601	5.19	5.19	...	0.01	0.01
	3602
	जोड़	0.01	0.01	...	5.19	5.19	...	0.01	0.01
3.06 अन्य	2851	...	22.29	22.29	...	28.99	28.99	...	28.99	28.99	...	33.50	33.50
	3601	...	2.71	2.71	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
	जोड़	...	25.00	25.00	...	32.99	32.99	...	32.99	32.99	...	37.50	37.50
जोड़- अन्य हथकरघा योजनाएं		266.60	55.30	321.90	161.50	68.00	229.50	161.50	73.18	234.68	180.00	70.51	250.51
जोड़-हथकरघा उद्योग		737.96	55.30	793.26	425.50	68.00	493.50	521.50	73.18	594.68	242.00	70.51	312.51
हथकरघा उद्योग													
4. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं													
4.01 प्रशिक्षण एवं विस्तार	2851	...	32.22	32.22	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	36.00	36.00
4.02 डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन	2851	18.88	44.69	63.57	20.00	50.00	70.00	24.70	50.00	74.70	23.00	42.00	65.00
4.03 बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना	2851	44.98	...	44.98	3.00	...	3.00	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
4.04 विपणन सहायता और सेवाएं	2851	46.27	...	46.27	37.00	...	37.00	41.23	...	41.23	34.00	...	34.00
4.05 हस्तशिल्प व्यापक कल्याण योजना	2851	26.41	0.26	26.67	24.00	...	24.00	20.00	...	20.00	32.00	...	32.00
4.06 अनुसंधान और विकास	2851	4.75	...	4.75	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	6.00	...	6.00
4.07 मानव संसाधन विकास	2851	15.76	...	15.76	21.00	...	21.00	24.70	...	24.70	24.00	...	24.00
4.08 अन्य	2851	...	24.49	24.49	1.00	30.00	31.00	...	30.00	30.00	...	31.30	31.30
	4851	5.20	...	5.20
	जोड़	5.20	24.49	29.69	1.00	30.00	31.00	...	30.00	30.00	...	31.30	31.30
4.09 अवसरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं	2851	38.00	...	38.00	14.13	...	14.13	23.00	...	23.00
4.10 जम्मू एवं कश्मीर में अन्य शिल्पों का विकास	2851	20.00	...	20.00
4.11 दिल्ली में हस्त कला अकादमी स्थापित करना	2851	30.00	...	30.00
जोड़- अन्य हस्तशिल्प योजनाएं		162.25	101.66	263.91	152.00	120.00	272.00	137.26	120.00	257.26	198.00	109.30	307.30

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
ऊन उद्योग														
5. ऊन विकास बोर्ड														
5.01	ऊन विकास बोर्ड	2851	11.51	1.50	13.01	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
5.02	सामाजिक सुरक्षा योजना	2851	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
5.03	समेकित ऊन संवर्धन और विकास कार्यक्रम	2851	2.00	...	2.00	18.50	...	18.50	14.50	...	14.50	18.50	...	18.50
5.04	ऊन और ऊनी सामग्री गुणता संसाधन योजना	2851	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
5.05	अन्य	2851	0.01	...	0.01
5.06	पश्मीना ऊन विकास कार्यक्रम	2851	30.00	...	30.00
जोड़- ऊन विकास बोर्ड			13.51	1.50	15.01	20.00	2.00	22.00	16.00	2.00	18.00	50.01	2.00	52.01
रेशम उत्पादन														
6. केन्द्रीय रेशम बोर्ड														
6.01	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	2851	236.82	255.69	492.51	...	244.80	244.80	...	264.47	264.47	...	279.17	279.17
6.02	अन्य रेशम उत्पादन योजना	2851	...	1.30	1.30	...	1.43	1.43	...	1.43	1.43	...	1.40	1.40
6.03	आईएसईपीसी और एसएमओआई द्वारा निर्यात संवर्धन, ब्रांड संवर्धन और तकनीकी उन्नयन	2851	2.00	...	2.00	0.67	...	0.67	1.00	...	1.00
6.04	शोध और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण और आईटी पहल	2851	23.90	...	23.90	27.87	...	27.87	32.20	...	32.20
6.05	बीज संगठन	2851	9.00	...	9.00	22.60	...	22.60	24.56	...	24.56
6.06	समन्वयन और बाजार विकास (एचआरडी)	2851	6.50	...	6.50	6.63	...	6.63	8.42	...	8.42
6.07	गुणवत्ता प्रमाणन योजना	2851	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	0.22	...	0.22
6.08	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	2851	21.18	...	21.18	213.00	...	213.00	196.63	...	196.63
जोड़- केन्द्रीय रेशम बोर्ड			258.00	256.99	514.99	259.40	246.23	505.63	259.40	265.90	525.30	66.40	280.57	346.97
विद्युत्करघा उद्योग														
7. अन्य विद्युत्करघा योजनाएं														
7.01	अन्य विद्युत्करघा योजनाएं	2851	6.98	2.54	9.52	...	3.11	3.11	...	3.11	3.11	...	3.20	3.20
7.02	पावरलूम क्षेत्र विकास की समेकित योजना	2851	31.00	...	31.00	31.00	...	31.00	23.50	...	23.50
7.03	समूह वर्कशेड योजना	2851	3.46	...	3.46	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	17.00	...	17.00
7.04	समूह बीमा योजना	2851	2.13	...	2.13	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
7.05	प्लेन पावरलूम के स्व-स्थाने उन्नयन की योजना	2851	32.00	...	32.00	6.56	...	6.56	35.00	...	35.00
7.06	स्वास्थ्य बीमा योजना	2851	5.00	...	5.00	1.65	...	1.65	5.00	...	5.00
7.07	अन्य	2851	0.01	...	0.01

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
7.08 विद्युतकरघा विकास योजना (प्रायोगिक योजना)	2851	0.01	...	0.01	
जोड़- अन्य विद्युतकरघा योजनाएं		12.57	2.54	15.11	83.00	3.11	86.11	54.21	3.11	57.32	84.52	3.20	87.72
अन्य													
8. मेगा क्लस्टर का विकास													
8.01 मेगा क्लस्टर का विकास	2851	23.38	...	23.38
8.02 सीएचसीडीएस - हस्तकला विशाल समूह	2851	26.00	...	26.00	10.80	...	10.80	26.00	...	26.00
8.03 सीएचसीडीएस - हथकरघा विशाल समूह	2851	26.00	...	26.00	26.00	...	26.00	16.00	...	16.00
8.04 सीपीसीडीएस - पावरलूम विशाल समूह	2851	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00
8.05 पांच मेगा क्लस्टरों को स्थापित करना	2851	190.00	...	190.00
जोड़- मेगा क्लस्टर का विकास		23.38	...	23.38	69.00	...	69.00	53.80	...	53.80	249.00	...	249.00
जोड़-ग्राम और लघु उद्योग उपभोक्ता उद्योग		1207.67	417.99	1625.66	1008.90	439.34	1448.24	1042.17	464.19	1506.36	889.93	465.58	1355.51
9. उपकर संग्रहण के एवज में अदायगी - जूट	2851	15.27	15.27
	2852	...	35.51	35.51	35.51	35.51	...	45.10	45.10
जोड़		...	35.51	35.51	...	15.27	15.27	...	35.51	35.51	...	45.10	45.10
10. वस्त्र आयुक्त	2852	...	23.49	23.49	...	25.00	25.00	...	24.21	24.21	...	25.00	25.00
11. वस्त्र समिति को सहायता	2852	...	21.00	21.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00
12. कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम													
12.01 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान	2852	18.57	1.27	19.84	59.00	6.00	65.00	25.00	1.50	26.50	80.00	6.25	86.25
12.02 फैशन और वस्त्र शिक्षा योजना	2852
12.03 अनुसंधान एवं विकास	2852	6.06	...	6.06	51.00	...	51.00	10.00	...	10.00	51.00	...	51.00
12.04 कपड़ा श्रमिक पुनर्वास योजना	2852	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	8.00	8.00
12.05 निर्यात संवर्धन अध्ययन	3453	0.42	...	0.42	1.98	...	1.98	1.98	...	1.98	1.91	...	1.91
12.06 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	2852	2144.82	...	2144.82	2400.00	...	2400.00	1956.16	...	1956.16	2300.00	...	2300.00
12.07 मूल्य समर्थन के तहत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद	2852	...	68.07	68.07	...	200.00	200.00	...	152.32	152.32	...	120.00	120.00
12.08 ईएमडी / बीजी की ज्वत राशि के एवज में एईपीसी को अनुदान	2852	...	0.78	0.78	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
12.09 समेकित कपड़ा पाकों से संबंधित योजना	2852	111.91	...	111.91	300.00	...	300.00	140.00	...	140.00	240.00	...	240.00
12.10 तकनीकी वस्त्रोद्योग के डाटाबेस का	2852	0.16	...	0.16

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
सुदृढीकरण													
12.11 पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टेक्स्टाइल्स के प्रयोग की योजना	2852	
12.12 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रो-टेक्स्टाइल्स के संवर्धन की योजना	2852	0.32	...	0.32	
12.13 पूर्वोत्तर क्षेत्र कपड़ा संवर्धन योजना	2852	
12.14 कामगारों के हॉस्टल	2852	5.00	...	5.00	14.00	...	14.00	
12.15 फ्लैटेड फैक्ट्री कम इनक्यूबेटर	2852	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00	
12.16 अन्य	2852	...	4.93	4.93	0.01	7.91	7.92	0.01	7.91	7.92	0.03	7.97	8.00
12.17 तकनीकी कपड़ा (टीएमटीटी)	2852	29.91	...	29.91	43.00	...	43.00	30.00	...	30.00	43.00	...	43.00
12.18 मानव अनुसंधान विकास (आईएसडीएस)	2852	74.12	...	74.12	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	268.00	...	268.00
12.19 सामान्य अनुपालन संहिता	2852	3.44	...	3.44	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
12.20 समेकित प्रक्रम विकास योजना (एसपीपी)	2852	50.00	...	50.00	5.00	...	5.00	50.00	...	50.00
जोड़- कपड़ा के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम		2389.73	80.05	2469.78	3158.99	219.91	3378.90	2428.15	167.73	2595.88	3061.94	143.22	3205.16
13. जूट आयुक्त	2852	...	3.72	3.72	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
14. जूट विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम													
14.01 जूट प्रौद्योगिकी मिशन	2852	30.00	...	30.00	0.01	...	0.01	39.68	...	39.68	0.01	...	0.01
14.02 बाजार प्रचालन के लिए भारतीय जूट निगम को आर्थिक सहायता	2852	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	61.59	61.59	...	0.01	0.01
14.03 जूट प्रौद्योगिकी मिशन -II	2852	0.01	...	0.01
14.04 जूट मिल में कार्य करने वाले कामगारों की आवासीय योजना	2852	0.01	...	0.01
14.05 अन्य	2852	...	3.68	3.68	...	4.05	4.05	...	4.05	4.05	...	4.79	4.79
जोड़- जूट विकास आदि के लिए अन्य कार्यक्रम		30.00	58.68	88.68	0.01	59.05	59.06	39.68	65.64	105.32	0.03	4.80	4.83
जोड़-उपभोक्ता उद्योग		2419.73	222.45	2642.18	3159.00	340.23	3499.23	2467.83	314.09	2781.92	3061.97	239.12	3301.09
नागरिक आपूर्ति													
15. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण													
15.01 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	6860	...	34.74	34.74	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	103.88	103.88
15.02 बर्ड जूट तथा निर्यात लि0	6860	...	0.43	0.43	0.50	0.50	...	0.50	0.50
15.03 ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि0	6860	...	66.60	66.60	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	35.35	35.35
जोड़- सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण		...	101.77	101.77	...	0.02	0.02	...	0.52	0.52	...	139.73	139.73
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान													
16.01 हथकरघा	2552	65.50	...	65.50	90.50	...	90.50	57.00	...	57.00
16.02 हस्तशिल्प	2552	43.00	...	43.00	43.65	...	43.65	23.00	...	23.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
4552	
जोड़	43.00	...	43.00	43.65	...	43.65	23.00	...	23.00	
16.03 रेशम कीट पालन उद्योग	2552	92.60	...	92.60	115.81	...	115.81	19.10	...	19.10	
16.04 जूट	2552	
16.05 कपड़ा	2552	262.00	...	262.00	140.04	...	140.04	275.00	...	275.00	
16.06 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	2552	
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थी एकमुश्त प्रावधान	463.10	...	463.10	390.00	...	390.00	374.10	...	374.10	
17. वास्तविक वसूलियां	2851	-6.88	-0.27	-7.15	
	2852	-4.17	...	-4.17	
	3601	-0.74	...	-0.74	
जोड़	-11.79	-0.27	-12.06	
राज्य और संघ राज्य योजना													
18. रेशम उत्पादन के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	2552	60.00	...	60.00	
	3601	153.00	...	153.00	
	3602	
जोड़	213.00	...	213.00	
19. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	2552	49.00	...	49.00	
	3601	243.00	...	243.00	
	3602	
जोड़	292.00	...	292.00	
कुल जोड़	3615.61	757.78	4373.39	4631.00	800.59	5431.59	3900.00	798.80	4698.80	4831.00	866.43	5697.43	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	1195.88	...	1195.88	1008.90	...	1008.90	1042.17	...	1042.17	889.93	...	889.93
2. उपभोक्ता उद्योग	12860	2419.73	...	2419.73	3159.00	...	3159.00	2467.83	...	2467.83	3061.97	...	3061.97
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	463.10	...	463.10	390.00	...	390.00	374.10	...	374.10
जोड़ - केन्द्रीय योजना	3615.61	...	3615.61	4631.00	...	4631.00	3900.00	...	3900.00	4326.00	...	4326.00	
राज्य योजना:													
1. ग्राम और लघु उद्योग	43601	505.00	...	505.00

विकास शीर्ष	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़	आं. व. वा. सं.	जोड़	
जोड़ - राज्य योजना
संघ राज्य क्षेत्र योजना :												
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)												
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना
जोड़	3615.61	...	3615.61	4631.00	...	4631.00	3900.00	...	3900.00	4831.00	...	4831.00

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालयी व्यय के लिए व्यवस्था है।

2.01 & 19. **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम:** मौजूदा योजनाओं अर्थात् व्यापक हथकरघा विकास योजना और पुनरुद्धार, सुधार और हथकरघा के लिए पुनर्गठन पैकेज इस नई योजना में विलय कर दिया गया है।

3. **अन्य हथकरघा योजनाएं:** इसमें बुनकर सेवा केंद्रों के व्यय से संबंधित स्थापना के लिए प्रावधान; हथकरघा बुनकर संगठनों को सभी प्रकार के यार्न उस कीमत पर, जिस पर ये मिल गेट पर उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध कराने के लिए मिल गेट मूल्य योजना, शामिल है। हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के दो संघटक हैं (i) देश में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और (ii) प्राकृतिक/दुर्घटनावश मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी बुनकर योजना। स्वास्थ्य बीमा कवर न केवल बुनकर के लिए है बल्कि उसकी पत्नी एवं दो बच्चों के लिए भी है।

4. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं:** इनमें डिजाइन और तकनीकी उन्नयन, बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, विपणन एवं सहायता सेवा, जम्मू और कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज, के लिए प्रावधान शामिल है। विपणन सहायता और सेवा योजना में निर्यात संवर्द्धन के लिए विपणन सहायता से संबंधित मध्यस्थता भी शामिल होगी। कल्याण योजना में कारीगरों के लिए बीमा योजना स्कीम और कारीगरों के स्वास्थ्य बीमा योजना और ऋण गारंटी योजना के लिए निधियां भी शामिल हैं। प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना को व्यापक बनाया गया है और इसमें विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना, गुरु शिष्य परम्परा इत्यादि जैसी समान योजनाओं के संघटकों को शामिल कर के मानव संसाधन विकास योजना को पुनर्गठित किया गया है। जम्मू व कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज में वचनबद्ध देयताओं को सुकर बनाने के लिए निधियां शामिल हैं। अनुसंधान एवं विकास योजना में कारीगरों की गणना भी शामिल होगी। इसमें अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं भी शामिल हैं। बजट में विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय द्वारा हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए केन्द्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजनागत और प्रशासनिक व्यय के लिए आयोजना-भिन्न प्रावधान शामिल हैं।

5. **ऊन विकास बोर्ड:** इस योजना के तहत देश में ऊन और ऊनी उत्पादों के समग्र विकास के लिए ऊन विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संचालन के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये योजनाएं हैं (i) एकीकृत ऊन उन्नयन एवं

विकास कार्यक्रम (ii) ऊन तथा ऊनी उत्पादों का गुणवत्ता प्रसंस्करण (iii) भेड़ पालकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। बोर्ड के प्रशासनिक व्यय को आयोजना-भिन्न के अधीन आवंटन में शामिल किया गया है।

6. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड:** इस प्रावधान में केन्द्रीय रेशम बोर्ड का प्रशासन शामिल है। बोर्ड को सौंपे गए कार्य व्यापक हैं और उनमें उद्योग के समस्त पहलू शामिल हैं ताकि उसके नियंत्रणाधीन रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग का समन्वित विकास सुनिश्चित हो सके और इसमें वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करने/सहायता देने और प्रोत्साहित करने, उच्चतर स्तरों पर विभागीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने, ग्रेड निर्धारित करने, रेशम के उत्पादों का विपणन, सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने, अपरिष्कृत रेशम की वस्तुओं आदि के आयात और निर्यात सहित रेशम उद्योग के विकास से संबंधित नीति विषयक सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का उत्तरदायित्व शामिल है। बजटीय प्रावधान में कृषि आधारित रेशम उत्पादन उद्योग का विकास करने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित सहायता और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य ट्रिफसलीय रेशम उत्पादन और गैर-शहतूती रेशम का विस्तार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है तथा उत्पादन, गुणवत्ता, उत्पादकता और कार्यचालन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकियां लागू करके निर्यात आय बढ़ाना है।

6.02. **अन्य रेशम कीट पालन योजना:** इस प्रावधान में रेशम और कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

6.03. **आईएसइपीसी और एसएमओआई द्वारा निर्यात संवर्धन, ब्रांड संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन:** रेशम प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के नवाचार, मानकीकरण और प्रचार प्रसार हेतु एक 'डिजाइन बैंक' और रेशम और रेशमी उत्पादों संबंधी राष्ट्रीय बाजार सूचना सेवा (एनएमआईएसएस) स्थापित किया जाएगा।

7. **अन्य विद्युतकरघा योजनाएं:** यह प्रावधान समूह बीमा योजना के माध्यम से विद्युतकरघा कामगारों के कल्याण के लिए नए डिजाइन प्राप्त करने के लिए विकेंद्रीकृत एवं लघु विद्युतकरघा एककों को सहायता देने के लिए कंप्यूटर सहायित डिजाइन केंद्रों के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों के लिए; समूह कार्यशाला योजना के तहत विद्युतकरघा बुनकरों को कार्य का बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं के निर्माण और विद्युतकरघा सेवा केंद्रों के प्रशासनिक खर्च के लिए अनुदान के लिए है।

7.05. **साधारण विद्युतकरघों के संस्थागत उन्नयन हेतु योजनाएं:** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर निम्न श्रेणी के मौजूद साधारण विद्युतकरघा इकाईयों की उनके करघों का उन्नयन करके उनकी गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

7.06. **स्वास्थ्य बीमा योजना:** स्वास्थ्य बीमा योजना, वित्तीय दृष्टि से विजली करघा कर्मियों/बुनकर को देश में सबसे अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करता है

8.02. **व्यापक हस्तशिल्प मेगा समूह विकास योजना:** सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर के विकास हेतु 5 केंद्रों यथा नारासपुर (आंध्र प्रदेश) एवं मुरादाबाद(उत्तर प्रदेश), मिर्जापुर-भदोही(उत्तर प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) एवं जोधपुर (राजस्थान) को शामिल करना।

8.03. **व्यापक हथकरघा मेगा समूह विकास योजना:** वाराणसी(यूपी), शिवसागर(असम), विरूधूनगर (तमिलनाडु), पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, आंध्र प्रदेश में प्रकाशम और गुंटूर जिले तथा झारखण्ड के गौड्डा एवं निकटवर्ती जिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर मेगा समूह को शामिल करने के लिए।

8.04. **व्यापक विद्युत्करघा मेगा समूह विकास योजना:** सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति आधार पर भिवण्डी (महाराष्ट्र), इरोड(तमिलनाडु), भीलवाडा(राजस्थान), इचलकरंजी(महाराष्ट्र) में मेगा समूह विकसित करने के लिए।

8.05. पाँच मेगा समूहों को स्थापित करने के लिए एक नई योजना आरम्भ की जा रही है (i)बरेली में जरी, (ii) लखनऊ में चिकन (iii) कच्छ में कढ़ाई (iv) सूरत में पावरलूम क्लस्टर (v) त्रिपुरा में हेंडलूम क्लस्टर।

9. **पटसन पर उपकर संग्रहण में से भुगतान:** पटसन विनिर्माण विकास परिषद को विभिन्न निर्धारित कार्यों के लिए पटसन पर उपकर संग्रहण करने की व्यवस्था है।

10. **वस्त्र आयुक्त:** वस्त्र आयुक्त विनियामक आदेशों को क्रियान्वित करता है, विद्युत्करघा सेवा केंद्रों का संचालन करता है, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है, वस्त्रों आदि के लिए डाटाबेस का रखरखाव करता है।

11. **वस्त्र समिति को सहायता:** वस्त्र समिति को निर्यात के लिए वस्त्र और वस्त्र मशीनरी का लदानपूर्व निरीक्षण करने के लिए भुगतान की व्यवस्था है।

12.01. **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) को अनुदान:** इस योजना में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण प्रावधानों और सामान्य श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या बनाए रखने की तर्ज पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों में अधिक छात्रों को प्रवेश देने हेतु अवसरचन्ना विकास के लिए प्रावधान शामिल है। अन्य के अतिरिक्त इस खाते में हुआ व्यय मुख्यतया निर्माण और प्रशिक्षण सहायता के लिए होगा।

12.03. **अनुसंधान और विकास:** इसमें वस्त्र मंत्रालय में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों/परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था शामिल है।

12.04. **वस्त्र श्रमिक पुनर्वास योजना:** इस योजना में मिलों के बंद हो जाने के फलस्वरूप अपना रोजगार गंवाने वाले कामगारों के लिए परिवर्ती समायोजन के लिए अंतरिम राहत की व्यवस्था है ताकि वे अन्य रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

12.06. **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस):** इस योजना में ऋणदाता एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से प्रभारित ब्याज में से 5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है ताकि वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सुगमता से निवेश हो सके। यह योजना नोडल एजेंसियों (आईडीबीआई, सिडबी, आईएफसीआई और प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों) द्वारा चलाई जा रही है।

12.07. **भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद:** भारतीय कपास निगम, समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए अधिस्थापित है। जब कभी कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूता/नीचे चला जाता है तो भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य अभियान चलाता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद करता है। समर्थन मूल्य अभियान से यदि कोई हानि होती है तो सरकार भारतीय कपास निगम को उसकी प्रतिपूर्ति करती है।

12.08. **आईपीसी को अनुदान:** यह प्रावधान परियोजनाओं के लिए अपैरल निर्यात संबर्द्धन परिषद (आईपीसी) को भुगतान के लिए है।

12.09. **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, (एसआईटीपी) अपैरल वस्त्र पार्कों को मिलाकर और वस्त्र विकास केंद्रों की अवसरचन्ना सुविधाओं का उन्नयन कर शुरू की गई है। एसआईटीपी शुरू करने का एक प्रमुख उद्देश्य उद्योग को अपनी वस्त्र इकाइयों स्थापित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसरचन्ना सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से वस्त्र इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

12.11. **योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूवसन के प्रयोग के लिए:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूवसन के संवर्धन और अनुप्रयोग के लिए एक आयोजना स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधुनिक किफायती प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने की प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए पूर्वोत्तर के विकास में भू-वस्त्रोद्योग का प्रयोग करने का लक्ष्य है। संभावित क्षेत्र जहां भू-वस्त्रोद्योग का प्रयोग किया जा सकता है, वे ये हैं-नई सड़कें, रिबर बैंक इरोजन कंट्रोल, पहाड़ों में स्लोप इरोजन कंट्रोल।

12.12. **पूर्वोत्तर क्षेत्र में एग्रोटेक्सटाईल्स के संवर्धन की योजना:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के बागवानी और पुष्पोत्पादन उपज में सुधार में एग्रोटेक्सटाईल्स का उपयोग करने का लक्ष्य है। एग्रोटेक्सटाईल्स की बढ़ती स्वीकार्यता के चलते देश में एग्रोटेक्सटाईल्स उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रेरणा मिलेगी। देश में एग्रोटेक्सटाईल्स उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि होने के चलते देश में किसानों के साथ-साथ वस्त्रोद्योग के उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

12.14. **मजदूरों के लिए निवास:** इस योजना का उद्देश्य, वस्त्र और परिधान उद्योग की सघनता वाले क्षेत्रों में होस्टेल के रूप में निकट में ही श्रमिकों के लिए सुरक्षित पर्याप्त सुलभ आवास दिलाना है।

12.15. **फ्लैट फैक्टरी सह इन्क्यूबेटर:** यह उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र आधारित एक एकीकृत कार्यक्षेत्र और संबंधों को बनाने के लिए शुरूआती योजना है। इस एकीकृत कार्यक्षेत्र और संबद्ध सेवाओं उद्यमियों को उनके विचारों पर अमल और सक्रिय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है कि एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने उत्पादों को वितरित करने की अनुमति होगी।

12.17. **तकनीकी वस्त्र: (टी.एम.टी.टी.):** इसका उद्देश्य परीक्षण सुविधाओं, बाजार विकास सहायता के अभाव, दक्ष जनशक्ति, अनुसंधान एवं विकास, उन्नत नियामक उपायों, तकनीकी वस्त्रों आदि के लिए विनिर्दिष्टियां एवं मानक तैयार करने के रूप में आधारभूत अवसरचन्ना का सुधार करना है।

12.18. **मानव संसाधन विकास (आई एस डी एस):** सामान्यतः इसे एकीकृत कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना कौशल सृजन पर सरकार के व्यापक बल का अंग है अर्थात् विनिर्माण एवं वस्त्र क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

12.19. **सामान्य अनुपालन कोडः:** इस योजना का उद्देश्य अपैरल, विनिर्माण तथा निर्यात में सामाजिक अनुपालन हेतु भारत को वैश्विक बैंचमार्क बनाना है। इससे परिधान निर्यातकों के लिए अनुपालन मानकों की जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य अनुपालन मानकों की समझ सृजित होगी।

12.20. **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (एस.पी.पी.):** इस योजना का उद्देश्य वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग को पर्यावरणानुकूल प्रसंस्करण मानक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में सुविधाएं प्रदान करना और कारपोरेट निकाय में साम्या रखने वाले उद्यमियों के समूह द्वारा संबद्धित एवं प्रबंधित एक विशेष परियोजना तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर विशेषकर जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना करना तथा मौजूदा प्रसंस्करण समूहों/केंद्रों का उन्नयन करना है।

13. **पटसन आयुक्त:** पटसन आयुक्त भारत में पटसन उद्योग के विकास की देखभाल करता है। वह पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1956 और पटसन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी संचालित करता है जिसे अब समामेलित कर दिया गया है और जो पटसन और पटसन वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 2000 के रूप में ज्ञात है।

14. **पटसन आदि के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम:** (i) राष्ट्रीय पटसन विविधीकृत केंद्र, पटसन सेवा केंद्र, कच्ची पटसन सामग्री बैंक, डिजाइन विकास, बाजार सहायता, पटसन उद्यमी सहायता और विविधीकृत पटसन क्षेत्र के विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में पटसन विविधीकरण क्रियाकलापों के लिए योजनाएं चलाता है। (ii) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और विविधीकरण तथा बाजार विकास आधुनिकीकरण जमा मशीनरी के माध्यम से मूल्यवर्धन एवं बाजार पहुंच और कौशल उन्नयन अनुसंधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करना, पटसन विनिर्माण विकास परिषद को अनुदान, बाजार अभियान के लिए भारतीय पटसन निगम को सस्मिडी, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान तथा अंतर्राष्ट्रीय पटसन अध्ययन समूह को अंशदान देना है।

15. **सार्वजनिक उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** यह प्रावधान मंत्रालय के तहत रूपण सार्वजनिक उद्यमों जैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम, बर्ड जूट एवं निर्यात लि. और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को अपने कर्मचारियों को वेतन और पारिश्रमिक और राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कर्मचारियों के लिए वीआरएस और सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए संसाधनों की कमी को पूरा करने हेतु बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

इस स्कीम में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन से संबंधित भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ३५.३४ करोड़ रुपए शामिल है, जो २०१४-१५ के लिए अनुदानों की मांगे संसद द्वारा पारित होने और संबंधित विनियोग विधेयक भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होने के बाद निधि में शामिल माना जाएगा।

16. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान:** इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

18. **रेशम उत्पादन के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम:** भारतीय रेशम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और न्यायोचित और टिकाऊ मानव विकास को बढ़ावा देने के रूप में बाइवोल्टाइड और ग्रेडेबल सुधार पार नस्ल रेशम के लिए विशेष ध्यान के साथ, लाभार्थियों के बोझ को कम करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।